



निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय
 Directorate General of Performance Management
 अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क/Indirect Taxes & Customs
 5 वीं मंजिल, ड्रम शेप बिल्डिंग, आई. पी. भवन, आई. पी. इस्टेट,
 5th Floor, Drum Shaped Building, I.P. Bhawan, I.P. Estate,
 नई दिल्ली/ New Delhi-110002
 E-mail: dgpm-cbic@gov.in

दिनांक: .02.2026

सेवा में / To,

प्रधान अपर महानिदेशक/ अपर महानिदेशक

सीसीए, डीजीपीएम के अंतर्गत सभी निदेशालय/प्र०आयुक्त, लॉजिस्टिक्स निदेशालय/निदेशक,
 के. राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला, दिल्ली ।

Pr. Director General/ Director General/

All Directorate, under CCA, DGPM/ Pr. Commissioner, DoL/ Director, CRCL

महोदय/महोदया,

Sir/Madam,

विषय:- डीजीपीएम कैडर के तहत निदेशालयों में अपर सहायक निदेशक के ग्रेड में वार्षिक सामान्य स्थानांतरण 2026 के संबंध में।

Subject: - Annual General Transfer 2026 in grade of Additional Assistant Director in Directorates under Cadre of DGPM, reg.

सीसीए, डीजीपीएम के तहत निदेशालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों की ग्रुप 'बी' और ग्रुप 'सी' के लिए स्थानांतरण/पोस्टिंग नीति के लिए F. No. 1040/27/2019 दिनांक 30.08.2022 द्वारा जारी पत्र का संदर्भ लें।

Kind reference is invited to the transfer/posting policy for Group 'B' and Group 'C' officers and staff of the Directorates under CCA, DGPM issued vide F. No. 1040/27/2019 dated 30.08.2022.

2. इस संबंध में, सीबीआईसी में सीसीए, डीजीपीएम के तहत विभिन्न निदेशालयों/संरचनाओं में कार्यरत अपर सहायक निदेशक के ग्रेड में स्थानांतरण के लिए देय अधिकारियों की सूचियां संलग्न हैं, जो स्थानांतरण नीति के दिशा-निर्देशों के अनुसार संकलित की गई हैं। यह अपर सहायक निदेशक ग्रेड के अधिकारियों के बीच परिचालन के लिए सभी निदेशालयों को प्रेषित की जाती है। नियत सूची में किसी भी प्रकार की विसंगति इस आदेश के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अग्रेषित की जा सकती है। यदि निर्धारित समयावधि के भीतर कोई विसंगति सूचित नहीं की जाती है, तो देय सूची को अंतिम माना जाएगा।

In this regard, please find enclosed the lists of officers due for transfer in the grade of Additional Assistant Director (AAD) working in different Directorates/formations under CCA, DGPM in CBIC. The list has been compiled as per the guidelines of the transfer policy, and is hereby forwarded to all the

Directorates for circulation amongst the officers in the grade of AAD. Any discrepancy in the Due List may be forwarded by 31.03.2026. If no discrepancy is reported within the stipulated time, the Due List will be treated as final.

3. इसके अतिरिक्त, अपर सहायक निदेशक के ग्रेड के वे अधिकारी जो नियत सूची में शामिल हैं अथवा जो नियत सूची में शामिल नहीं हैं और अपनी वर्तमान तैनाती/निदेशालय से समय से पूर्व स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं, वे अपने अभ्यावेदन प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक अथवा समकक्ष (मुख्यालय के माध्यम से) के अनुमोदन के पश्चात उचित माध्यम से सहायक दस्तावेजों (यदि कोई हों) के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में सीसीए, डीजीपीएम को इस आदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर भेज सकते हैं।

Further, officers in the grade of Additional Assistant Director who are in the Due List as well as those who are not in the Due List but are seeking premature transfer from their present place of posting/Directorate may forward their representations through proper channel with the approval of Pr. DG/DG or equivalent (through HQs) in the prescribed format (enclosed), along with supporting documents (if any), to CCA, DGPM by 31.03.2026.

संलग्न/ Encl: 1. Due List

2. Proforma AGT 2026 (for individuals)

भवदीया/Yours faithfully,

(इंदु भारद्वाज/Indu Bhardwaj)

संयुक्त निदेशक /Joint Director (संवर्ग/Cadre)